



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052025-263311
CG-DL-E-23052025-263311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/ वैशाख 29, 1947

No. 276]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/ VAISAKHA 29, 1947

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2025

सा.का.नि. 319(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (सिवाय महिला वृत्तिक प्रशिक्षण), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय समूह "ग" तकनीकी पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय में कुशल कर्मकार, सहायक भंडारी या औजार स्टोर प्रभारी और कार्यशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय तकनीकी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और

उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति -

- क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
ख. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कुशल कर्मकार।	31*(वर्ष 2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु.29200-92300 रु.)।	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणः आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा, किसी उद्योग या संस्थान में दो वर्ष का अनुभव; या (iii) किसी उद्योग या संस्थान में तीन वर्ष के अनुभव के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र। (iv) किसी उद्योग या संस्थान में चार वर्ष के अनुभव के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या पदोन्नत द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पणी: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रोन्नति द्वारा; जिसके पूरा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4- (-25500 रुप 81100ए) में सहायक भंडारी या औजार स्टोर प्रभारी जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो; और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4- (-25500 रुप 81100ए) में सहायक भंडारी या औजार स्टोर प्रभारी और वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 (रुप 63200-19900ए) में ऐसे कार्यशाला परिचर में लेवल-2-, वेतन मैट्रिक्स में संयुक्त रूप से दस वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - सदस्य <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के किसी 	लागू नहीं होता।

के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	कार्यालय से सिवाय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय – सदस्य।	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक भंडारी या औजार स्टोर प्रभारी।	20*(2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100)।	अचयन।

(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) तकनीकी शिक्षा बोर्ड या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा; या (iii) किसी उद्योग या संस्थान में एक वर्ष के अनुभव के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र। (iv) किसी उद्योग या संस्थान में दो वर्ष के अनुभव के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र।

(8)	(9)	(10)
नहीं।	दो वर्ष। टिप्पणी: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने ; पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
वेतन लेवल-2, 19900-63200 रुपये में कार्यरत ऐसे कार्यशाला परिचर, जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और माइक्रोसॉफ्ट	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे : 1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल	लागू नहीं होता।

<p>ऑफिस के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p> <p>टिप्पणी 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नत के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विकास और उद्यमशीलता निदेशालय -अध्यक्ष;</p> <p>2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय -सदस्य;</p> <p>3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के सिवाय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय -सदस्य</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <p>1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय -अध्यक्ष;</p> <p>2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय -सदस्य;</p> <p>3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय से सिवाय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय -सदस्य।</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कार्यशाला परिचर	153* (वर्ष 2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव)।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (रु. 19900-63200)।	अचयन

(6)	(7)
<p>18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।</p>	<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र; या</p> <p>(iii) राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान किए गए किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण-पत्र तथा किसी उद्योग या संस्थान में एक वर्ष का अनुभव।</p>

(8)	(9)	(10)
<p>आयु: नहीं;</p> <p>शैक्षिक अर्हता: नहीं, लेकिन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवसाय में कम से कम राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र होना चाहिए।</p>	<p>दो वर्ष।</p> <p>नोट: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

(11)	(12)	(13)
<p>वेतन मेट्रिक्स के लेवल-1 (18000-56900 रु) में ऐसे बहुवृन्द कर्मचारी जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के सिवाय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - सदस्य <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केंद्रीय सरकार के कार्यालय के सिवाय कौशल विकास और उद्यमशीलता निदेशालय - सदस्य। 	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. डीजीटी-ए-12018/3/2018/टीए-1 (ई-13605)]

ईश्वर सिंह, उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

[Directorate General of Training]

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2025

G.S.R. 319(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training (Group ‘C’ Technical Posts) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Skilled Worker, Assistant Store Keeper or Tool Store In-charge and Workshop Attendant in the Directorate General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:-

Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of

Training, Technical (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall be apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and level in the pay in matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-**No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person

and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be

recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Skilled Worker.	31*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 years and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission .	(i) 10 th class pass from a recognised Board; and (ii) three years' diploma in Mechanical Engineering or Production Engineering or Electrical Engineering from a recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education with two years' experience in an industry or institute; or (iii) National Apprenticeship Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training with three years' experience in an industry or institute; or (iv) National Trade Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training with four years' experience in an industry or institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Assistant Store Keeper or Tool Store In-charge in level-4	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:—	Not applicable.

<p>in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years' regular service in the grade; and having successfully completed two weeks training in the field of Microsoft Office; or</p> <p>(ii) Assistant Store Keeper or Tool Store In-charge in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) and Workshop Attendant in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with ten years of combined regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the field of Microsoft Office.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regional Director In-charge, Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director, Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3. Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member. <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regional Director In-charge, Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director, Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3. Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member. 	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Store Keeper or Tool Store In-charge.	20*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.

(6)	(7)
<p>Between 18 years and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission .</p>	<p>(i) 10th class pass from a recognised Board; and</p> <p>(ii) three years' diploma in Mechanical Engineering or Production Engineering or Electrical Engineering from a recognised university or institute approved by the Board of Technical Education or All India Council of Technical Education; or</p> <p>(iii) National Apprenticeship Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training with one year experience in an industry or institute; or</p> <p>(iv) National Trade Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training with two years' experience in an industry or institute.</p>

(8)	(9)	(10)
No.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Workshop Attendant in level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200) with eight years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the field of Microsoft Office. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Regional Director In-charge, Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director, Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3. Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Regional Director In-charge, Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director, Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3. Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Workshop Attendant.	153*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs 19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)
Between 18 years and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the	(i) 10 th class pass from a recognised Board; and (ii) National Apprenticeship Certificate in any engineering trade awarded by the National Council for Vocational Training; or (iii) National Trade Certificate in any engineering trade awarded by the National

instructions or orders issued by the Central Government).	Council for Vocational Training with one year experience in an industry or institute.
Note:-The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission .	

(8)	(9)	(10)
Age: No. Educational Qualifications: No, but possess at least National Trade Certificate in any engineering trade approved by the National Council for Vocational Training.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By promotion, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Multi-tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years' regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the field of Microsoft Office. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: — 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3. Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 2. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; 3 Assistant Director from the Central Government office, except Ministry of Skill Development and Entrepreneurship - Member.	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12018/3/2018/TA-I (E-13605)]

ISHWAR SINGH, Dy. Director General (Training)